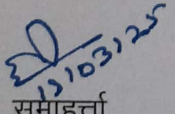
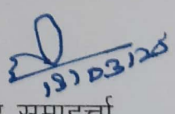


न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर० एम० पी० वाद सं०-०४/२०११-१२

(१०/२००२)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-गुरुमुख दास
आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
०१	०२	०३
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर०एम०पी० वाद सं०-१०/२००२ में दिनांक-३०.१२.२०११ को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा-मालपहाड़ी के दाग सं०-५३९ अंतर्गत रकवा-०१बी०-१४क०-१६धूर भूमि का विपक्षी गुरुमुख दास, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था० रा० वि० वाद सं०-२१/९८-९९ में दिनांक-२४.११.२००० को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी/उत्तराधिकारी उपस्थित तो हुए परन्तु उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का कोई भी कागजात/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। अंतिम नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। यह वाद लम्बे समय से विचाराधीन है और विपक्षी द्वारा आज तक ना तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और ना ही दावे के समर्थन में कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल किया गया है। अभिलेख में उपलब्ध निबंधित खनन पट्टा दस्तावेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत दाग की भूमि पर पत्थर खनन हेतु खनन पट्टा १० वर्षों के लिए दिया गया था। लीज की अवधि वर्षों पूर्व पूर्ण हो चुकी है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी को खनन पट्टा दिया गया था जिसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। खनन पट्टा के आधार पर राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबन्दी बिल्कुल अवैध है। जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी गुरुमुख दास, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लें एवं तदसंबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	